

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक:

विषय— डा० सीताराम सिंह, सेवानिवृत्त अपर उपाधीक्षक—सह—सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (संचारी रोग), वैशाली को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार बिहार, पटना के पत्रांक LR: 030220260201097 के आलोक में डा० सीताराम सिंह, सेवानिवृत्त अपर उपाधीक्षक—सह—सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (संचारी रोग), वैशाली को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा० सीताराम सिंह से की जाएगी।

3. डा० सिंह का दिनांक 02.08.2011 से दिनांक 14.07.2014 तक की अविनियमित अवधि को विभागीय पत्रांक 2167(2) दिनांक 21.08.2026 से विनियमित कर दिया गया है (छाया प्रति संलग्न)।

4. डा० सीताराम सिंह की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.12.2025 है।

5. अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/—

अनुलग्नक : यथोक्त ।

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापांक :

797(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : 8/9/26

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा० सीताराम सिंह, सेवानिवृत्त अपर उपाधीक्षक—सह—सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (संचारी रोग), वैशाली, पत्राचार का पता—नौरंगाबाद, डाकघर—हाजीपुर, थाना—हाजीपुर, जिला—वैशाली, पिन—844101, मो०नं०—7903891727 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. K. 8/9/26
सरकार के उप सचिव